सुल्तान बनाम जगदीश पु.न. 88/2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.11.24	पत्रावली दिनांक 1.11.24 को नियत थी। इस दिनांक को राजकीय अवकाश होने से पत्रावली आज पेशी में आई। पत्रावली पूर्व आज्ञा अनुसार दिनांक 22.11.24 को पेश हो।	
22.11.24	पत्रावली पेश। बहस उपलब्ध सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 28.11.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
28.11.24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर [seal]

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 88/2022

1 सुरज्ञान उम्र 60 साल पुत्र श्री गणेश जाति कुमावत निवासी रघुनाथगढ़ जिला सीकर राज. मो. नम्बर

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र घासी जाति खाती (जांगिड़ ब्राह्मण) निवासी रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर हाल निवासी गुरूकृपा हॉस्पीटल की गली पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

2 श्रवण कुमार पुत्र घासी जाति खाती (जांगिड़ ब्राह्मण) निवासी रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर हाल निवासी गुरूकृपा हॉस्पीटल की गली पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

3 श्रीराम पुत्र गणेश जाति कुमावत निवासी ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर राज.।

4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर राज. जरिये प्रबंधक

5 भूमिधारी तहसीलदार महोदय सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर प्रकरण बउनवानी श्रीराम आदि बनाम जगदीश प्रसाद आदि प्रार्थना पत्र संख्या 16/2021 आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी. एक्ट निर्णय दिनांक 01.08.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—28.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2021 में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 1986, 1984/2523, 2813/1976, 2814/1976 वाके ग्राम लखीपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1986 में आवासीय मकानात बने हुए है जहां पर प्रार्थी परिवार सहित आवास निवास करता चला आ रहा है। उक्त खेत खसरा नम्बरान में आने जाने के लिए प्रार्थी के पास राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता अंकित नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। फिर भी विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर न कर सख्त कानूनी भूल की है। अपीलान्ट का अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1986 व उसमें बने आवासीय मकान में आने जाने कृषि कार्य करने हेतु ट्रेक्टर ट्रोली लद्ढा व मवेशियों के आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 1984/2523 की पूर्वी सीमा के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सहारे सहारे के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अपीलान्ट व उनके पूर्वज वर्षों से ही उक्त रास्ते का ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 2814/1976 से प्रवेश कर खसरा नम्बर 1984/2523 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थी के खेत में प्रवेश करने का सबसे सुगम व छोटा रास्ता है। पटवारी हल्का महोदय ने वर्तमान में अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 1986 में बने अपने आवासीय मकान तक आवागमन पड़ौसी के खेत से पगडण्डी से होना माना है और यह भी माना है कि उक्त रास्ते की प्रार्थी को अत्यधिक आवश्यकता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रास्ता की भूमि रास्ते के लिये उपयुक्त व उपलब्ध है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई स्टेक्चर पेड़ पौधे आदि नहीं है। अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1986 के लघुत्तम दुरी पर खसरा नम्बर 1988 गैरमुमकिन रास्ता अंकित होना गलत रूप से अंकित किया है जबकि अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 1986 के दक्षिणी सींव पर अपीलान्ट के आवासीय मकानात बने हुये है उक्त आवासीय मकानात में आने जाने का सबसे लघुत्तम रास्ता खसरा नम्बर 1984/2523 के पूर्वी सींव के सहारे सहारे ही है उक्त रास्ते के आलवा अपीलान्ट के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है अपीलान्ट के मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी नहीं है। मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है। इससे स्पष्ट है कि नियम 69 के अनुशरण में मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर 1986 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 1984/2523 जिसमें से रास्ता चाहा गया है कि खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उनके खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा लघुत्तम रास्ता खसरा नम्बर 1984/2523 में से होकर ही जाता है तथा मौके पर 16 फिट रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मौजुद है। इसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने कथन किये है कि प्रार्थीगण का आवागमन उनकी भूमि खसरा नम्र 1984/2523 में से नहीं होकर 1988 आम रास्ते से खसरा नम्बर 1987 में से होकर है तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1986 में आवागमन हेतु भी लघुत्तम रास्ता खसरा नम्बर 1987 से ही है जिसकी दूरी केवल 50 मीटर है तथा प्रार्थीगण के खेत से जवाबदाता के खेत की दूरी 156 मीटर है। केवल मात्र मेगा हाईवे पर से जुड़ने के लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों के कथनों की प्रमाणिकता के लिये तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव संख्या 917 दिनांक 30.06.2022 पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार के प्रस्ताव में मद संख्या 1 में यह अंकित है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यंत आवश्कता है, प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने हेतु पड़ोसी के खेत से पगडंडी से आवागमन करते है। प्रार्थीगण के खेत से लघुत्तम दुरी पर खसरा नम्बर 1988 गै.मू. रास्ता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1988 जो कि गै.मू. रास्ता है से लगता हुआ खेत खसरा नम्बर 1987 है तथा इसके लगाता हुआ प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1986 है जिससे प्रार्थीगण के खेत की लघुत्तम दूरी है। तहसीलदार के प्रस्ताव से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण लघुत्तम दुरी के रास्ते के बजाय स्टेट हाईवे सड़क से रास्ता चाहते है। जो कि नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खेत से अधिकतम दूरी पर है। यह सही है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है परन्तु प्रार्थीगण के आवेदन से यह मंशा जाहिर होती है कि वह सुविधाजनक रास्ते के लिए न्यायालय में आया है ना कि रास्ते की आवश्यकता के लिये। प्रार्थीगण को रास्ते के लिये सर्वप्रथम लघुत्तम दुरी के रास्ते से धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत रास्ता दिया जा सकता है सुविधाजनक रास्ता नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर 1986 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 1984/2523 जिसमें से रास्ता चाहा गया है कि खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उनके खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा लघुत्तम रास्ता खसरा नम्बर 1984/2523 में से होकर ही जाता है तथा मौके पर 16 फिट रास्ता मौजुद है। इसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने कथन किये है कि प्रार्थीगण का आवागमन उनकी भूमि खसरा नम्र 1984/2523 में से नहीं होकर 1988 आम रास्ते से खसरा नम्बर 1987 में से होकर है तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1986 में आवागमन हेतु भी लघुत्तम रास्ता खसरा नम्बर 1987 से ही है जिसकी दूरी केवल 50 मीटर है तथा प्रार्थीगण के खेत से जवाबदाता के खेत की दूरी 156 मीटर है। केवल मात्र मेगा हाईवे पर से जुड़ने के लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों के कथनों की प्रमाणिकता के लिये तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव संख्या 917 दिनांक 30.06.2022 पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार के प्रस्ताव में मद संख्या 1 में यह अंकित है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यंत आवश्कता है, प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने हेतु पड़ोसी के खेत से पगडंडी से आवागमन करते है। प्रार्थीगण के खेत से लघुत्तम दुरी पर खसरा नम्बर 1988 गै.मू. रास्ता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1988 जो कि गै.मू. रास्ता है से लगता हुआ खेत खसरा नम्बर 1987 है तथा इसके लगाता हुआ प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1986 है जिससे प्रार्थीगण के खेत की लघुत्तम दूरी है। तहसीलदार के प्रस्ताव से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण लघुत्तम दुरी के रास्ते के बजाय स्टेट हाईवे सड़क से रास्ता चाहते है। जो कि नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खेत से अधिकतम दूरी पर है। यह सही है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है परन्तु प्रार्थीगण के आवेदन से यह मंशा जाहिर होती है कि वह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सुविधाजनक रास्ते के लिए न्यायालय में आया है ना कि रास्ते की आवश्यकता के लिये। प्रार्थीगण को रास्ते के लिये सर्वप्रथम लघुत्तम दुरी के रास्ते से धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत रास्ता दिया जा सकता है सुविधाजनक रास्ता नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर